भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 943

08 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

ई-एनडब्ल्यूआर प्रणाली

943. श्री अनिल फिरोजिया:

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रणाली से किसानों को किस प्रकार के लाभ होने की संभावना है; और

(ग) भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के साथ बैंकों की कोर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ई-एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 द्वारा समर्थित दस्तावेज है जिसके जरिए वस्तुओं के शीर्षक के पृष्ठांकन/अंतरण के लिए परक्राम्यता की जाती है। परक्राम्य भांडागार रसीद (एनडब्ल्यूआर) एक भांडागार रसीद है जिसके तहत उसमें दर्शायी गई वस्तुएं जमाकर्ता को वितरित की जाती हैं अथवा पृष्ठांकिती को हस्तांतरणीय की जाती हैं जो पृष्ठांकन के माध्यम से वस्तुओं के शीर्षक ग्रहण कर लेते हैं। ई-एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) एनडब्ल्यूआर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है।

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) के साथ पंजीकृत भांडागार उनमें जमा अधिसूचित जिंसों के लिए ई-एनडब्ल्यूआर जारी कर सकते हैं। वर्ष 2017 में, डब्ल्यूडीआरए ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में एनडब्ल्यूआर का सृजन और प्रबंधन करने के लिए दो रिपोज़िटरी को पंजीकृत किया था।

दिनांक 1 अगस्त, 2019 से, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) ने एनडब्ल्यूआर को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया है। ई-एनडब्ल्यूआर को बाज़ार के व्यवसाय से बाहर रखा जा सकता है और व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए जिंसों के व्युत्पन्न विनिमय में उपयोग किया जा सकता है। एक ई-एनडब्ल्यूआर की वैधता एक निश्चित समय के लिए होती है, जो जिंस की शेल्फ-लाइफ या भांडागार से जिंस की संपूर्ण निकासी, जो भी पहले हो, के साथ को-टर्मिनस होती है। इसे कतिपय शर्तों जैसे ऋण की चुकौती न होने, अवधि समाप्त होने और वितरण न लिए जाने तथा भांडागार में जिंस के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर नीलाम किया जा सकता है।

....2/-

(ख): ई-एनडब्ल्यूआर पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) द्वारा किसानों/जमाकर्ताओं को बैंकों से ऋण लेने में सुविधा प्राप्त करने, वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहित करने, विपणन मौसम की व्यस्ततम अवधि के दौरान किसानों द्वारा कृषि उत्पादों की मजबूरन बिक्री से बचने, लाभ में वृद्धि करने के लिए जमा की गई जिंसों की ग्रेडिंग और गुणवत्ता को बढ़ाने, किसानों द्वारा बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन और किसानों को अधिक लाभ (रिटर्न्स) एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (गुणवत्ता) प्रदान करने आदि के लिए सक्षम बनाता है।

(ग): बैंकों को जमाकर्ताओं, वेयरहाउसमेन और रिपोजिटरी प्रतिभागियों जैसे अन्य हितधारकों के साथ ई-एनडब्ल्यूआर के लिए रिपोजिटरी सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया गया है। ई-एनडब्ल्यूआर को गिरवी रख कर बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में, बैंकों द्वारा ई-एनडब्ल्यूआर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से लियन चिह्नित किया जाता है। जब तक संबंधित बैंक द्वारा लियन समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी हितधारक द्वारा गिरवी रखे गए ई-एनडब्ल्यूआर के प्रति आगे कोई कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होती है।

*****